तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/01/2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण की जाति दरोगा अंकित है जबकि मुताबिक प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत घासीपुरा, आधार कार्ड प्रार्थीगण, निर्णय प्रार्थना पत्र 191/2019 अन्तर्गत धारा 136, मूल निवास प्रमाण पत्र प्रार्थीगण, रिपोर्ट नायब तहसीलदार पाटन, तहसीलदार के पत्रांक 121 दिनांक 7.1.2021 में प्रार्थीगण की जाति राजपूत अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर राजपूत दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जावे। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम कोला की नांगल स्थित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की जाति राजपूत है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् दुरुस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कोला की नांगल स्थित भूमि खसरा नंबर 128, 129, 129/772, 130, 131, 131/972, 132 ता 135, 135/793, 136 ता 141, 141/791 कुल किता 18 कुल रकबा 2.97 है0, ग्राम रैला स्थित भूमि खसरा नंबर 47, 49, 50 कुल किता 3 कुल रकबा 2.80 है0 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति <u>दरोगा</u> के स्थान पर <u>राजपूत</u> दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)